डा0 रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

"गणतन्त्र दिवस संदेश"

प्रिय छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, शैक्षणिक अभिकर्मियों, अधिकारियों, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से जुड़े समस्त सम्मानित नागरिकों को देश के 68वें गणतन्त्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

देश का संविधान लागू हुये 67 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारा देश वर्षो की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। देश को आजाद करवाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अथक प्रयास किया गया । हमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद करना चाहिये। इस हेतु शिक्षण संस्थाओं में समय–समय पर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन चरित्र की गाथाओं पर भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि किये जाने चाहिये।

हमारे नागरिकों विशेषकर नौनिहालों को देश की शासन व्यवस्था की सम्यक जानकारी दी जानी चाहिये। इस हेतु शिक्षण संस्थाओं को वार्षिक क्रिया–कलापों की विषयवस्तु नियोजित करनी चाहिये। भारतीय राज व्यवस्था, शासनतंत्र, विधानमण्डल, न्याय व्यवस्था आदि की जानकारी बच्चों से साझा की जाय। मेरा अनुरोध है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का विद्यालय के प्रधानाचार्य/विषय अध्यपकों के द्वारा समस्त छात्र–छात्राओं को एक–एक शब्द की व्याख्या कर उसका आशय समझाया जाय। इसके अतरिक्त भारतीय संविधान से जुड़े कुछ रोचक बातें भी बच्चों के साथ साझा की जा सकती है।

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।
- विश्व के अनेकों संविधान से अच्छी बातों को इसमें समाहित किया गया है, जैसे फ्रांस के संविधान से देश का गणतांत्रिक स्वरूप तथा स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पंचवर्षीय योजनायें, कनाडा के संविधान से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, नीति–निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से तथा आपातकालीन स्थिति जर्मनी के संविधान से लिये गये हैं।
- संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

देश की स्वतंत्रता से संबन्धित विभिन्न बातों एवं भारतीय संविधान की विशेषताओं से बच्चों को अवश्य परिचित कराया जाय ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बन सके। इस अवसर पर भारतीय संविधान की संलग्न प्रस्तावना बच्चों के साथ साझा की जाय। लोकतंत्र में मताधिकार की भूमिका से भी बच्चों को परिचित कराया जाय। देश के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वे लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें।

मेरा शिक्षक साथियों से विशेष अनुरोध है कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु वे स्वयं को विषय आधारित आधुनिकतम ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीकी से जोड़ते हुये बच्चों को सम्यक जानकारियां प्रदान की जाय।

भारत में प्राचीन काल से ही गुरूपद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्रा एक शिष्य है। गुरू के लिए शिष्य के धर्म–जाति, अमीर–गरीब से कोई सरोकार नहीं होता है। गुरू अपनी क्षमता से बच्चे के भविष्य को परिस्कृत करते हैं। वर्तमान परिवेश में शिक्षण पर शिक्षकों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में हमारी प्रशिक्षण संस्थायें विशेषकर डायट एवं एस0सी0ई0आर0टी0 को लीडिंग रोल अदा करने की आवश्यकता है। शिक्षण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने हेतु हमें परियोजनाओं का भी भरपूर लाभ लेने की आवश्यकता है। किन्तु, सबसे महत्वपूर्ण सेतु शिक्षक ही है, छात्र–छात्राओं की सफलता पर वे सर्वाधिक संतोष एवं खुशी का अनुभव कर सकते हैं।

मेरा अन्य शैक्षणिक अभिकर्मियों एवं अधिकारियों से भी अनुरोध है कि विद्यालय की समस्याओं एवं शिक्षकों के सेवा संबन्धी प्रकरणों का त्वरित एवं समयान्तर्गत निस्तारण किया जाय। यदि किसी प्रकरण पर आपत्तियां अथवा कमियॉ हों तो उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश के साथ तत्काल संबन्धित को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उनका विधिवत निराकरण किया जा सके। इससे शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षण में अपना समय प्रदान कर सकेंगे।

साथियों, शिक्षण संस्थाओं के विकास में अभिभावकों, शिक्षा प्रेमियों एवं गैर–सरकारी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लेना चाहिये। अच्छी शिक्षण संस्थाओं की सहायता के लिए समुदाय हमेशा आगे आता है। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि हम समुदाय को यह अहसास कैसे करायें कि विद्यालय में छात्र–छात्राओं को उपयोगी एवं गुणवत्तापकर शिक्षा प्रदान करने हेतु हमारे कार्मिक कृत संकल्प हैं। इस दिशा में सतत् प्रयास की आवश्यकता है।

अन्त में, समस्त अभिकर्मियों को अपने–अपने दायित्व के अनुरूप प्रदेश को अग्रणी शिक्षित श्रेणी में लाने हेतु अनुरोध करते हुये मैं एक बार पुनः गणतन्त्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

जय हिन्द।

रणबीर

(डा0 रणबीर सिह)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता]

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिये

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख

26 नवम्बर 1949 ई0 को एतत्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत

अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- बयालीसवें संविधान संशोधन (अधिनियम 1976) की धारा 2 द्वारा

(1) 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया।

(2) 'एवं अखण्डता' शब्द जोड़ा गया।